

न्यायालय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, कोर्ट सं.2/विशेष न्यायाधीश
(एस०सी०/एस०टी०)एक्ट, रमाबाई नगर (कानपुर देहात)।

जमानत प्रार्थना पत्र सं०.1429/2026



UPRN010036472026

रामगीता.....बनाम.....उ०प्र० राज्य

मु०अपराध संख्या-186/2026
थाना-सजेती, कानपुर नगर।

दिनांक-14.07.2026

प्रार्थिनी/अभियुक्ता की ओर से जरिये विद्वान अधिवक्ता उक्त जमानत प्रार्थना पत्र में त्रुटि होने के कारण वापस लिये जाने का उल्लेख किया गया तथा बल न दिये जाने का कथन किया गया है।

जमानत प्रार्थना पत्र बल न दिये जाने के कारण निरस्त किये जाने योग्य है।

आदेश

जमानत प्रार्थना पत्र बल न दिये जाने के कारण निरस्त किया जाता है।

अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, कोर्ट सं.2/
विशेष न्यायाधीश (एस०सी०/एस०टी०एक्ट)
रमाबाई नगर, (कानपुर देहात)।